एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
49/2013	15.5.2013	27-3-2018

श्रीमती रामपती पत्नि श्री रामखिलाडी पुत्री स्व0 श्री बंशीलाल जाति माली निवासी चकछावा तहसील गंगापुर सिटी ——प्रार्थिया

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र गंगाविशन, मीना निवासी अभयपुरा तहसील बामनवास
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री भानु कुमार सिंघल , एडवोकेट, प्रार्थिया की ओर से
श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1 की ओर से

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी ख0नं0 85 रकबा 0.88 है0 ग्राम महानन्दपुर प्रार्थिया की पैत्रक आराजी है जो खतौनी सं0 2039 में प्रार्थिया के पिता के नाम दर्ज है। प्रार्थिया के पिता बंशीलाल के एक पुत्र केदार व 4 पुत्रियां रामपति, सुक्को, मूडी, कैलाशी हैं एवं पत्नि बसन्ती हैं जिनमें बसन्ती व मूडी की मृत्यु हो चुकी है। उपरोक्त वर्णित आराजी पैत्रक होने के कारण इसमें प्रार्थिया का जन्म से ही अधिकार है व हिस्सा है। उपरोक्त वर्णित आराजी का पूर्ण रकबा दावे में दर्ज प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रार्थिया की मां स्व0 बसन्ती ने प्रार्थिया की जानकारी में लाए बिना ही एवं प्रार्थिया की सहमति के बिना ही गलत प्रकार से अप्रार्थी नं0 1 को विक्रय कर दिया जबकि प्रार्थिया का उपरोक्त आराजी में 1/6 हिस्सा रहा है। दिनांक 9.5.2013 को प्रार्थिया अपने पैत्रक गांव आई तब प्रार्थिया ने दावे में दर्ज प्रतिवादी नं0 1 से उपरोक्त पैत्रक जमीन में अपना हिस्सा अलग करने को कहा तब दावे में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 ने बताया कि उसने तो पूरी जमीन अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रय कर दी है इसलिए अब मैं पैत्रक जमीन में से तुम्हारे हिस्से की जमीन अलग नहीं कर सकता । वादग्रस्त भूमि प्रार्थिया की पैत्रक भूमि है जिसमें प्रार्थिया का 1/6 हिस्सा है और प्रार्थिया का 1/6 हिस्से पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिए उपरोक्त आराजी के 1/6 हिस्से की प्रार्थिया के हक में खातेदारी घोषित किए जाने योग्य है एवं प्रार्थिया के हिस्से तक उपरोक्त आराजी का बयनामा जो अप्रार्थी के हक में निष्पादित कराया गया है वह शुन्य व प्रभावहीन घोषित किए जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने हक में

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

कराए गए उक्त साजिशी बयनामे के आधार पर उपरोक्त आराजी को दीगर लोगों को विक्रय करने पर आमादा है एवं आराजी के राजस्व रिकार्ड को परिवर्तित करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी नं0 1 ने उक्त आराजी दीगर लोगों को विक्रय कर दी या आराजी के राजस्व रिकार्ड को परिवर्तित कर दिया तो प्रार्थिया मुकदमेबाजी में उलझ जावेगी। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे ताफैसला दावा आराजी ख0नं0 85 रकबा 0.88 है0 ग्राम महानन्दपुर में प्रार्थिया के हिस्सा 1/6 के उपयोग उपभोग प्रार्थिया में किसी प्रकार की कोई मजाहमत न तो स्वयं पैदा करें न किसी अन्य से करावें तथा उक्त आराजी के किसी भी हिस्से को किसी दीगर व्यक्ति को रहन वय या मुन्तकिल नहीं करें, मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 सूचना के बाद भी उपस्थित नहीं हुए।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के जबाब में अप्रार्थी संख्या 1 ने अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिया विवाहिता महिला है जो अपने ससुराल में रहती है। विवादित भूमि पर कभी प्रार्थिया का कब्जा नहीं रहा है। भूमि केदारलाल व बसन्ती की खातेदारी व कब्जे की भूमि रही है जिसे केदार व बसन्ती ने अप्रार्थी को दि0 20.6.2005 को रू0 170000/-में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र विक्रय कर कब्जा संभला दिया। यदि भूमि पैत्रक सहखातेदारी की भी होती तो भी ऐसा विक्रय पत्र प्रभावहीन व शुन्य नहीं होता है क्योंकि खातेदार द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा भूमि बेचा जाना मानकर विक्रय पत्र वोईडेबल होता है जिसके बाबत् सिविल न्यायालय से विक्रय पत्र निरस्ती का दावा ही किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय को वाद श्रवण का क्षेत्राधिकार नहीं है। जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि प्रार्थिया के पिता बंशीलाल का करीब 35 साल पूर्व स्वर्गवास हो चुका है और इतने समय से भूमि का इन्द्राज खातेदारी केदार व बसन्ती के नाम चला आ रहा है। प्रार्थिया ने इतने सालो में कभी कोई एतराज नहीं किया जबकि इस दौरान सेटिलमेंट भी हो चुका है। इस प्रकार प्रार्थिया के विरूद्ध एस्टोपल का सिद्धान्त लागू होता है एवं वादिया दावा लाने को एस्टोप्ड है। बंशीलाल ने प्रार्थिया एवं अपने सभी पुत्र व पुत्रियों का विवाह अपने जीवनकाल में ही कर दिया था तब से प्रार्थिया व उसकी अन्य बहनें अपने अपने ससुराल में रह रही हैं एवं ससुराल की भूमि काश्त कर रही हैं।

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थिया का कभी कब्जा नहीं रहा । इस प्रकार कब्जे के अभाव में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। वादग्रस्त भूमि के पास ही भूमि ख0नं0 428 रकबा 53 एयर प्रार्थिया के पिता बंशी माली की खातेदारी की भूमि रही है जिसका इन्द्राज खातेदारी भी प्रार्थिया के भाई केदार के हक में चला आ रहा था व प्रार्थिया के भाई केदार ने भूमि ख0नं0 428 रकबा 53 एयर ग्राम मिर्जापुर को दिनांक 20.10.87 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अग्रवाल शिक्षण संस्थान को विक्रय कर दी व इस भूमि पर महाविद्यालय का निर्माण हो गया। इस भूमि के विक्रय के बाद से आज तक प्रार्थिया ने इस भूमि में अपने पिता की भूमि होने के नाते कोई हिस्सा नहीं मांगा है और ना ही विक्रय पत्र शून्य बतलाया है। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थिया ने इस नम्बर बाबत् कोई तथ्य ही अंकित नहीं किया है। वादग्रस्त भूमि को बेचे हुए 8 वर्ष का अर्सा हो गया है एवं इन 8 वर्षो से अप्रार्थी का ही भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। इस भूमि में अप्रार्थी ने सफेदे के पेड लगा रखे हैं जिन्हें अप्रार्थी कई बार विक्रय कर चुका है तब भी प्रार्थिया ने कोई एतराज नहीं किया। सफेदे के पेडों का प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया है जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थिया का कब्जा नहीं हैं। प्रार्थिया के अनुसार वादग्रस्त भूमि में केदार एवं बसन्ती का हिस्सा था, इस प्रकार इन्हें भूमि विक्रय किए जाने का अधिकार था तथा इनके द्वारा कराया गया विक्रयपत्र शुन्य नहीं होकर वोईडेबल होता है जिसे निरस्त कराए बिना दावा चलने योग्य नहीं है। विक्रय पत्र निरस्ती का अधिकार दीवानी न्यायालय को है इसलिए यहां दावा व प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। विक्रय पत्र निरस्ती की मियाद 3 साल होती है इस प्रकार मियाद निरस्ती विक्रय पत्र दिनांक 20.6.2008 को समाप्त हो चुकी है व दावा व प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण खारिज होने योग्य है। वादग्रस्त भूमि अब आबादी के पास आ गई है इस कारण कीमत बढ जाने के कारण केदार के मन में बेईमानी आ गई है एवं उसने गलत तरीके से यह झूंठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया है। जबाबदार को केदार की बहनों के बारे में जानकारी नहीं थी। जबाबदार ने खुले रूप से विक्रय राशि अदा कर भूमि खरीदी है। इस प्रकार जबाबदार उक्त भूमि का बोनाफाइड परचेजर विद वैल्यू अन्य वारिसान की जानकारी के वगैर है व भूमि पर प्रार्थिया का कब्जा भी नहीं है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज.)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थिया ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2039, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2066 से 2069, फोटोकोपी विक्रय पत्र दिनांक 29.6.2005 पेश किए हैं।

जबाब के समर्थन में अप्रार्थीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थिया के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थिया के पिता की खातेदारी की पैत्रक भूमि रही है जिसमें प्रार्थिया का जन्म से ही 1/6 हिस्से का अधिकार है। प्रार्थिया की माता एवं भाई ने प्रार्थिया की जानकारी एवं सहमति के बिना ही सम्पूर्ण भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 1 को कर दिया है एवं अब अप्रार्थी संख्या 1 भूमि का आगे बेचान करने व भूमि की मौके की स्थिति बदलने पर आमादा है इसलिए प्रकरण में प्रार्थिया के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि प्रस्तुत मामले में वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थिया का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं करीब 35 वर्ष पूर्व से भूमि स्व0 बसन्ती व केदार के नाम खातेदारी में दर्ज रही है। इससे पूर्व प्रार्थिया ने इस सम्बन्ध में कभी कोई आपत्ती नहीं की तथा भूमि बेचान के बाद 8 वर्ष में भी कोई आपत्ती नहीं की । चूंकि अब भूमि की कीमत बढ गई है इसलिए भूमि के विक्रेता केदार ने प्रार्थिया के साथ मिलकर यह मुकदमा अप्रार्थी के विरूद्ध करवाया है जो चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2039 के अनुसार वादग्रस्त भूमि बंशीलाल की खातेदारी में दर्ज रही है। बंशीलाल के देहान्त के बाद यह भूमि उसकी पत्नि बसन्ती व पुत्र केदार के नाम दर्ज हुई है। इन्होने विक्रय पत्र दिनांक 29.6.05 के अनुसार भूमि अप्रार्थी रामस्वरूप के नाम बेचान कर दी एवं भूमि वर्तमान में अप्रार्थी रामस्वरूप की खातेदारी में दर्ज रही है। प्रथम दृष्टया प्रार्थिया स्व0 बंशीलाल की पुत्री है एवं इस नाते वादग्रस्त भूमि में प्रार्थिया का 1/6 हिस्सा बनता है । अतः हम प्रार्थिया के हितों को देखते हुए वादग्रस्त भूमि के 1/6 हिस्से की राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने एवं 1/6 हिस्से की भूमि का किसी अन्य को बेचान नहीं करने हेतु प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते हैं।

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम महानन्दपुर तहसील गंगापुर सिटी में स्थित भूमि ख0नं0 85 रकबा 0.88 है0 के 1/6 हिस्से की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखने एवं इस 1/6 हिस्से का बेचान नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 27-3-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी